



उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(सरकार की स्वमिताधीन अनुसूचित बैंक)

प्रधान कार्यालय: द्वितीय एवं तृतीय तल, एनबीसीसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010,
Website: www.upgbank.com

क्षेत्रीय कार्यालय: मुरादाबाद

E-mail- rombd@prathamaupbank.com

Ph. 7217088021, 7217038480

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहअनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/ सहअनुबन्धियों/ बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अवल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित हैं।

ऋणी/ सहअनुबंधियों का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि एवं देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि एवं जमा करने की अंतिम तिथि	बोली सुधार धनराशि रु. 5000/- नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
ऋण खाता संख्या: 8463JH49744579, ऋणी: श्री मौहम्मद सलीम पुत्र श्री मौहम्मद अनवर निवासी गली संख्या 1 संकल्प स्कूल के पास, रहमत नगर, मुरादाबाद सहअनुबंधी: 1. श्रीमती सलमा पत्नी श्री मौहम्मद अनवर निवासी गली संख्या 1 संकल्प स्कूल के पास, रहमत नगर, मुरादाबाद 2. श्री मौहम्मद अनवर पुत्र श्री मियां जान निवासी गली संख्या 1 संकल्प स्कूल के पास, रहमत नगर, मुरादाबाद Ph.7217028463 शाखा- हनुमान मूर्ति, मुरादाबाद	सम्पत्ति 1- एक खाली भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 33.72 वर्ग मीटर जोकि स्थित है गाटा संख्या 619 बाके मौजा भदौरा बाहर चुंगी, मुरादाबाद। जो कि उपनिबन्धक कार्यालय प्रथम, मुरादाबाद पर बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16766 पृष्ठ 265 से 276 क्रम संख्या 507 पर दिनांक 11.01.2021 को श्रीमती सलमा पत्नी श्री मौहम्मद अनवर के नाम पंजीकृत है सम्पत्ति की चौहददी: पूर्व: विक्रेता का बचा हुआ प्लाट, पश्चिम: रास्ता 12 फिट चौड़ा मुस्तरखा, उत्तर: आराजी बब्लू व अन्य, दक्षिण: मौहम्मद अनवर का प्लाट। सम्पत्ति 2- एक खाली भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 33.72 वर्ग मीटर जोकि स्थित है गाटा संख्या 619 बाके मौजा भदौरा बाहर चुंगी, मुरादाबाद। जो कि उपनिबन्धक कार्यालय प्रथम, मुरादाबाद पर बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16778 पृष्ठ 231 से 244 क्रम संख्या 716 पर दिनांक 13.01.2021 को श्री मौहम्मद अनवर पुत्र श्री मियां जान के नाम पंजीकृत है सम्पत्ति की चौहददी: पूर्व: आराजी विक्रेता बचा हुआ प्लाट, पश्चिम: रास्ता 12 फिट चौड़ा मुस्तरखा, उत्तर: आराजी विक्रेता बचा हुआ प्लाट, दक्षिण: रास्ता 14 फिट चौड़ा।	01.02.2025 रु. 5,22,610.00 दिनांक 01-02-2025 तक + ब्याज + अन्य खर्च 14-05-2025 /सांकेतिक कब्जा	रु. 8,50,000/- ई.एम.डी. प्राइज रु. 85,000/- दिनांक 14.10.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 15.10.2025, दिन बुधवार प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हनुमान मूर्ति, शाखा परिसर मुरादाबाद

सम्पत्ति का पूरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्तें:- 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी/ नकद जमा के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/ पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता को बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को "जो है जहाँ है, जो है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी/ नकद सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांक: 12.09.2025

स्थान : मुरादाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक